राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन

सी–ब्लाक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

क्रमांकः एफ 3 ( )आरएमएससी / वीसी / 2011 / ३४। दिनांक : १३-१०-११

1. समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलक्टर
2. प्रधानाचार्य / नियंत्रक / अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय
3. समस्त संयुक्त निदेशक / समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / समस्त जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी)

विषय :– मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना बाबत् दिशा–निर्देश।

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति में दिनांक 10.10.2011 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (V.C.) में की गई। जिलेवार योजना की समीक्षा के पश्चात् निम्न निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक विडियों कॉन्फ्रेन्स (V.C.) होगी, जिसमें उपरोक्त सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।
2. संभागीय आयुक्त द्वारा मेडिकल कॉलेज के सम्बद्ध अस्पतालों एवं जिला कलक्टर द्वारा DH, SH, SDH आदि की प्रतिदिन मोनिटरिंग की जाएगी। जिससे प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी में पर्याप्त समन्वय स्थापित होगा।
3. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर योजना लागू होने के बाद आउटडोर मरीजों की संख्या में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए औषधियों की आवश्यकता का आकलन (Need Assessment) करवाकर आरएमएससी मुख्यालय पर वास्तविक मांग (Realistic Demand) भिजवाए।
4. जिलों में आगामी 2 माह हेतु Most Commonly used Drug (Fast Moving Drugs) के स्थानीय क्रय करने हेतु 10% एवं 20% राशि का बजट सम्बन्धित CM&HOs/PMOs/अस्पताल अधीक्षको को आवंटित किया गया है, इसमें से स्थानीय स्तर पर क्रय करे।
5. सभी Medical College Hospitals/DH/SDH/SH अस्पतालों में लाईफ लाईन ड्रग स्टोर चालू कराऐं और उनका सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करें।
6. विडियों कॉन्फ्रेन्स में प्रधानाचार्यओं ने मांग कि आरएमएससी से सीधे ही मेडिकल कॉलेज के मुख्य अस्पताल को दवाऐं भेजी जाऐं। अतः जहाँ–जहाँ पर्याप्त भवन और स्टॉफ उपलब्ध है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य व अस्पताल अधीक्षक इस बाबत् आज ही मेल अथवा फैक्स द्वारा अवगत कराऐं। यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज से संलग्न मुख्य अस्पताल के लिए होगी, शेष सम्बद्ध अस्पताल पूर्व की तरह DDW से दवा प्राप्त करेगें।
7. दवा के परिवहन हेतु पूर्व में 2 लाख प्रति CM&HO आंवटित किये गये थे एवं अतिरिक्त राशि शीघ्र ही आंवटित की जा रही है।
8. वेक्सिन एवं कोल्ड चैन में रखी जाने वाली दवाईयाँ एवं आई. वी. फल्यूड्स हेतु अलग से दिशा–निर्देश भेजे जा रहे है, जिनकी सख्ती से पालना अपेक्षित हैं। इनके खराब होने पर सम्बन्धित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
9. आरएमएससी ने रोगी उपचार पत्र (Prescription slip) नमूने के तौर पर छपवा कर उपलब्ध करवाई थी, अब आप अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था कर लें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं
अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजि सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. निजि सचिव, चिकित्सा एवं राज्य मंत्री महोदय
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. निजि सचिव, मिशन निदेशक एनआरएचएम
6. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) / आरसीएच / एड्स / एचए / आईईसी
7. सर्वर रूम

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन